राय प्रभारी पदाधिकारी पत्रांक–11/वि0 2–पि0व0आ0–06/2005का0....... 1919

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

षक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना ।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना ।
सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग बिहार ,पटना ।
सचिव, राज्य महादलित आयोग ,पटना ।

पटना– 15, दिनांक–12.11.08

विषय :– बिहार पदों एवं सेवाओं को रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम–1991) बिहार अधिनियम–3/1992 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) का सम्प्रेषण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–1800 दिनांक–01.09.05 द्वारा राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची परिचालित की गई थी। कालक्रम से बिहार अधिनियम–3/1992 में अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाता रहा है, जिसे जन साधारण की जानकारी के लिए पुनः परिचालित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार अधिनियम–3, 1992 के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) की अद्यतन सूची सुलभ प्रसंग हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. अनुरोध है कि इसे अधीनस्थ कार्यालयों/पदाधिकारियों के बीच परिचालित कर दिया जाय, ताकि संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। परन्तु किसी जाति विशेष के संबंध में संदेह होने पर मूल अधिनियम एवं संकल्प की प्रविष्टि का संदर्भ लिया जाए।

अनु॰–यथावत् ।

विश्वासभाजन,

12/11/08

सरकार के उप सचिव ।